# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 17/2023 FSSA**

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी मालिक/एफबीओ मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर, नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा (राज0) निवासी — नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(V) एवं दंडनीय धारा 58

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 15.2.2023 को दोपहर 12.:31 पीएम पर मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ एक प्लास्टिक बेग में लगभग 7—8 कि.ग्रा. धनिया पाउडर (Coriander Powder Loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री अशोक कुमार सैनी को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (Coriander Powder Loose) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसमें से 2 किलोग्राम धनिया पाउडर (Coriander Powder Loose) खुली साफ व सूखी पॉलीथीन में तुलवाकर मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 280/—(अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिर्च धनिया पाउडर (Coriander Powder Loose) को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर बराबर—बराबर पॉलीथीन में भरकर प्रत्येक पॉलीथीन को अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग—अलग डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी—3192 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग—अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी—3192 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 16.2.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 16.2.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./152/एक्ट/2023/174 दिनांक 27.2.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) एफएसएए की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./152/एक्ट/2023/174 दिनांक 27.2.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी को खुले मसाले बेचना खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है इसकी जानकारी नहीं थी। प्रार्थी द्वारा अज्ञानता के कारण धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) का विक्रय किया है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा ऐसी गलती नहीं की जावेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./152/एक्ट/2023/174 दिनांक 27.2.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) का नमूना की जांच में नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 17/2023 **FSSA**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (**Coriander Powder Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी मालिक/एफबीओ मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर, नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा (राज0) निवासी – नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0 पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( राजकुमार कस्वा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

क्रमांक/**FSSA/** दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी मालिक/एफबीओ मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर, नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा (राज0) निवासी – नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0

( राजकुमार कस्वा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा